बिहार सरकार

वित्त विभाग

सामान्य भविष्य निधि (GPF) के अंशदाताओं के लिये आवश्यक सूचना

बिहार सरकार के सभी GPF अंशदाताओं का अंशदान माह दिसम्बर 2011 से कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। सभी अंशदाताओं के सामान्य भविष्य निधि (G.P.F) का खाता इन्टरनेट पर URL http;//finance.bih.nic.in पर उपलब्ध है। Website में बायें तरफ e-GPF Portal के लिंक पर क्लिक करने पर जो पेज खुलेगा उसके दाहिने तरफ Login Mode में User select करें, User ID में अंशदाता का लेखा संख्या डालें एवं default password 'abc' डालें। Report/Contribution Report के लिंक को क्लिक करके वित्तीय वर्षवार अद्यतन गणना चार्ट एवं उसके उपर के GPF Report लिंक को क्लिक करके वित्तीय वर्ष एवं संबंधित भविष्य निधि कार्यालय को select कर लेखा पुर्जा देखा जा सकता है।

यदि पूर्व में संबंधित वित्तीय वर्ष हेतु निर्गत लेखा पुर्जा/अंशदान एवं Website पर उपलब्ध लेखा पुर्जा/अंशदान/गणना चार्ट में कोई विसंगति हो, तो संबंधित भविष्य निधि कार्यालय से सम्पर्क/पत्राचार कर इसके निराकरण हेतु साक्ष्य सहित आवेदन दें या इस हेतु website पर उपलब्ध on line complaint registration link के माध्यम से विहित प्रपत्र में अपना complaint register करे, ताकि उसका ससमय निष्पादन किया जा सके। साथ ही भविष्य निधि निदेशालय के Phone No. 0612-2531348 पर भी श्री सत्येन्द्र कुमार सिन्हा, सहायक आयुक्त, लेखा प्रशासन भविष्य निधि निदेशालय से सूचना प्राप्त की जा सकती है।

अंशदाता अपना मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई0डी0 इस website पर दिये गये लिंक पर क्लिक करके register करा सकते हैं, ताकि उन्हें मासिक कटौती/अग्रिम और up to date Closing Balance की सूचना SMS/email द्वारा उपलब्ध करायी जा सके।

(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव, वित्त विभाग

सू.ज.स.वि.-14354 (वित्त) 11-12, बिहार

सरकारी सेवा जन सेवा का माध्यम है। धर्म-ईमान की तरह इसे भी बेदाग रखें ।